मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक: 03/24/17 निर्णय दिनाँक: 12/28/20 अवधि: 3 वर्ष, 9 माह, 4 दिन

पीठासीन: श्री चंद्रोदय कुमार एच.जे.एस.
एम.ए.सी.पी. संख्या 133 वर्ष 2017
श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्व. श्री महेन्द्र, आयु- 48 वर्ष, निवासी- 61 ठकुरयाना, पुलिया नम्बर- 9, झाँसी (मृतक की माँ)

---------याची

प्रति

1. वीरेन्द्र परिहार पुत्र श्री दशरथ परिहार, 16/1, हाता प्यारेलाल, नगरा, झाँसी
.....पंजीकृत स्वामी पिकअप संख्या- UP93AT 8320
2. जय प्रकाश साहू पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद साहू, निवासी-60 नैनागढ नगरा, चिमेडिया विवाह घर के आगे, झाँसी
.....चालक पिकअप संख्या- UP93AT 8320

--------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता श्री संतोष कुमार दोहरे
विपक्षी संख्या-एक एवं दो के अधिवक्ता श्री राजयोगेन्द्र कुमार

निर्णय

याची की ओर से यह याचिका विपक्षीगण के विरुद्ध धारा-166 एवं 140 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत मोटर दुर्धटना मे सोमेश उर्फ सुमेश की मृत्यु पर ₹ 26,50,000 प्रतिकर एवं उस पर 18% वार्षिक दर से ब्याज दिलाये जाने हेतु योजित की गयी है।

2. याचिका में याची का कथन है कि दिनाँक 27.01.2017 को **सोमेश अपने मित्र मोहित के साथ घर आने के लिए टैक्सी के इन्तजार में डी.आर.एम. कार्यालय के सामने सड़क किनारे खडा था तभी स्टेशन की ओर से बहुत तेजी व लापरवाही से आ रही पिकअप संख्या- UP93AT 8320 के चालक ने लहराकर याची के पुत्र सोमेश एवं उसके मित्र मोहित को टक्कर मार दी और लहराती हुई आगे जाकर पलट गयी।** उक्त घटना को मौके पर इमरान, संतोष कुमार व शुभम ने देखा व घायलों को मेडिकल कालेज पहुँचाया जहाँ इलाज के दौरान दिनाँक 29.01.2017 को याची के पुत्र सोमेश की मृत्यु हो गयी। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक सोमेश के भाई अमन ने अपने भाई के अन्तिम क्रियाकर्म के उपरान्त दिनाँक 29.01.2017 को थाना- नवाबाद मे उपरोक्त पिकअप चालक के विरुद्ध अपराध संख्या- 116/17 के अन्तर्गत पंजीकृत कराई। याची का पुत्र कथित घटना के समय बीस वर्षीय हष्टपुष्ट व्यक्ति था तथा टेलरिंग का काम करके लगभग प्रतिदिन ₹ 300 आय अर्जित करता था, जिससे याची अपने परिवार का भरण पोषण करता था परन्तु कथित घटना में असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण याची का जीवन हमेशा के लिए अंधकारमय हो गया है।

3. विपक्षी संख्या- 1 एवं 2 क्रमश: वीरेन्द्र परिहार एवं जय प्रकाश साहू की ओर से जवाबदावा 44B दाखिल कर कथित घटना के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन में बल दिया गया है कि याची ने मनगढन्त कहानी बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर केवल प्रतिकर पाने के आशय से वर्तमान याचिका योजित की है। **कथित घटना याची के पुत्र सोमेश द्वारा तेजी व लापरवाही से दो पहिया वाहन को चलाये जाने के कारण घटित हुई थी जबकि विपक्षी चालक कथित घटना के समय अपने वाहन पिकअप को सावधानी पूर्वक अपनी साइड पर चलाता हुआ स्टेशन से इलाइट की ओर जा रहा था तभी सामने से बडी तेजी व लापरवाही से आ रहे चार पहिया वाहन मारुति को बचाने के प्रयास में विपक्षी चालक ने अपने वाहन को नीचे उतारकर ब्रेक लगाये तभी पीछे से उक्त सोमेश ने अपने वाहन मोटर साइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये पिकअप में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सोमेश एवं उसका मित्र घायल हो गये थे। दिनाँक 28.01.2017 व 29.01.2017 के समाचार पत्रों (झाँसी) द्वारा अपने समाचार पत्रों में भी उक्त सोमेश उर्फ सुरेश कुमार व मोहित को मोटरसाइकिल चलाना दर्शाया गया है जो कि सही है।** याची ने केवल प्रतिकर पाने के आशय से फर्जी कहानी बनाकर प्रश्नगत वाहन पिकअप के चालक के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। कथित घटना में विपक्षी पिकअप चालक की कोई गल्ती नहीं है। कथित घटना के समय प्रश्नगत वाहन पिकअप के चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र था। याची ने तथाकथित मोटर साइकिल की बीमा कम्पनी एवं स्वामी को पक्षकार नहीं बनाया है। याची ने याचिका के समर्थन में सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल नहीं किये हैं तथा बढ़ा-चढ़ाकर प्रतिकर की याचना की है। उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर विपक्षी संख्या- एक एवं दो की ओर से याची की वर्तमान याचिका निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये-

1. क्या दिनाँक 21.01.2017 को समय करीब 8:15 बजे शाम, स्थान डी.आर.एम. कार्यालय के पास, थाना- नवाबाद, जिला-झाँसी में पिकअप वाहन

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.28 12:29:16 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

संख्या- UP93AT 8320 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये सड़क किनारे खड़े याची के पुत्र सोमेश उर्फ सुमेश कुमार को टक्कर मार दी, जिससे याची के पुत्र को गम्भीर चोटें आयीं व इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी ?

2. क्या प्रश्नगत दुर्घटना दिनाँक व समय पर पिकअप वाहन संख्या- UP93AT 8320 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था ?

3. क्या प्रश्नगत वाहन दुर्घटना दिनाँक एवं समय पर पिकअप वाहन संख्या- UP93AT 8320 विपक्षी संख्या- तीन बीमा कम्पनी से विधिवत बीमित थी ?

4. क्या याची विपक्षीगण से प्रतिकर की धनराशि पाने की हकदार है, यदि हाँ तो कितनी व किससे ?

5. अपने कथनों के समर्थन में याची की ओर से स्वयं को PW-1 के रूप में तथा PW-2 संतोष कुमार तथा PW-3 अजय कुमार नायक को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची- 7C/1 से आधार कार्ड मृतक, आधार कार्ड याची, पंचनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छाया प्रतियाँ, सूची- 18C/1 से विवेचक द्वारा वाहन स्वामी को प्रेषित नोटिस, घटना स्वीकृति आवेदन, वाहन स्वामी का आधार कार्ड, प्रश्नगत वाहन पिकअप का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी, चालक अनुज्ञा पत्र एवं चालक के आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ, सूची 75C/1 से असल भर्ती अभिलेख BHT, इंजरी रिपोर्ट की सत्यापित प्रति, सूची- 79C/1 प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियाँ, सूची- 47C/1 से इलाज के दौरान क्रय की गयी दवाओं के कुल- 13 किता बिल अंकन ₹ 8,264, सूची- 32/C से आरोप पत्र, नक्शा नजरी की सत्यापित प्रतियाँ, सूची- 85C/1 से समाचार पत्र की प्रति आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।

6. इसके विपरीत विपक्षी संख्या- एक एवं दो की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी DW-1 कमलेश रिछारिया को परीक्षित किया गया तथा विपक्षी संख्या- एक की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में शपथ पत्र के साथ संलग्नक के रूप में कथित घटना स्थल के छाया चित्र प्रस्तुत किये गये। उक्त के अतिरिक्त विपक्षीगण की ओर से कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. मैंने उभय पक्ष की ओर से वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन एवं मूल्यांकन किया।

निष्कर्ष

8. **निस्तारण विवाद्यक संख्या- एक**

स्वीकृत रूप से दुर्घटना का होना साबित है। चोट-प्रपत्र प्रपत्र सं. 77C1 मे भी RTA का उल्लेख है। चूँकि विपक्षी के वाहन का बीमा नहीं है अतः दुरभि संधि का कोई मामला प्रतीत नहीं होता है। अब प्रश्न यह है कि इस दुर्घटना में उपेक्षा किसकी और कितनी है। इस संबंध में उभय पक्ष के अभिवचन आरोप-प्रत्यारोप पर आधारित हैं और उभय पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी भी आरोप-प्रत्यारोप का ही साक्ष्य दे रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस समय दुर्घटना घटित हुई उस समय-

(i) सोमेश अपने मित्र मोहित के साथ मोटर साइकिल से स्टेशन की ओर से इलाइट की ओर आ रहा था, अथवा

(ii) मोटर साइकिल से इलाइट की ओर से स्टेशन की ओर जा रहा था, अथवा

(iii) इलाइट से डी.आर.एम. आफिस तक पैदल आकर सड़क किनारे खड़े होकर किसी वाहन का इंतजार कर रहा था।

9. याची की ओर से परीक्षित कथित चक्षुदर्शी साक्षी संतोष PW2 ने उपेक्षा के बिंदु पर याचिका के कथानक का समर्थन तो किया है किंतु प्रति परीक्षा मे इसने स्वीकार किया है कि वह मृतक के जानने वाले हैं, एक ही समाज के हैं तथा इनका घर मृतक के घर से 10-12 घर दूर एक ही मुहल्ले मे है। मृतक के परिवार वालों के साथ मेडिकल कॉलेज जाना भी बताते हैं तथा 29 तारीख को मेडिकल कॉलेज में मृत्यु होना भी बताते हैं। तात्पर्य यह है कि यह साक्षी याची पक्ष के करीबी व हितबद्ध प्रतीत होते हैं तो प्रश्न यह भी उठता है कि क्या यह वास्तव में दुर्घटना दिनाँक 21.01.2017 को समय करीब 8.15 बजे झाँसी जैसे शहर में जाड़े की रात मे दुर्घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति का कोई औचित्यपूर्ण कारण बता पा रहे हैं ? इनका मुख्य परीक्षा में कहना है कि वह, इमरान व शुभम सड़क की **दूसरी तरफ पुलिया पर बैठे थे**, जबकि इसके विपरीत प्रति परीक्षा में इनका कहना है कि वह मृतक सोमेश व मोहित के साथ नहीं थे, दुर्घटना स्थल से दूर खड़े थे। दो तीन व्यक्तियों के साथ वहाँ **डी.आर.एम. आफिस पर ऐसे ही खड़े थे**। उसके साथ इमरान व शुभम **खड़े** थे। वह लोग प्लॉट के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। कथनों में ऐसे अंतर्विरोध साक्षी की दुर्घटना स्थल पर उपस्थिति को संदेहास्पद बनाते हैं। चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 8 दिन बाद दर्ज कराई गई है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में गवाहों के रूप मे इमरान व शुभम के नाम सोच विचार के पश्चात लिखे गए हों।

10. उपहत साक्षी मोहित तथा चक्षुदर्शी साक्षी संतोष दुर्घटना को डी.आर.एम. ऑफिस की तरफ वाली पटरी पर होना बताते हैं जबकि नक्शा नजरी में दुर्घटना डी.आर.एम. ऑफिस के विपरीत वाली पटरी पर दर्शाई गई है जो कि निम्न प्रकार है-

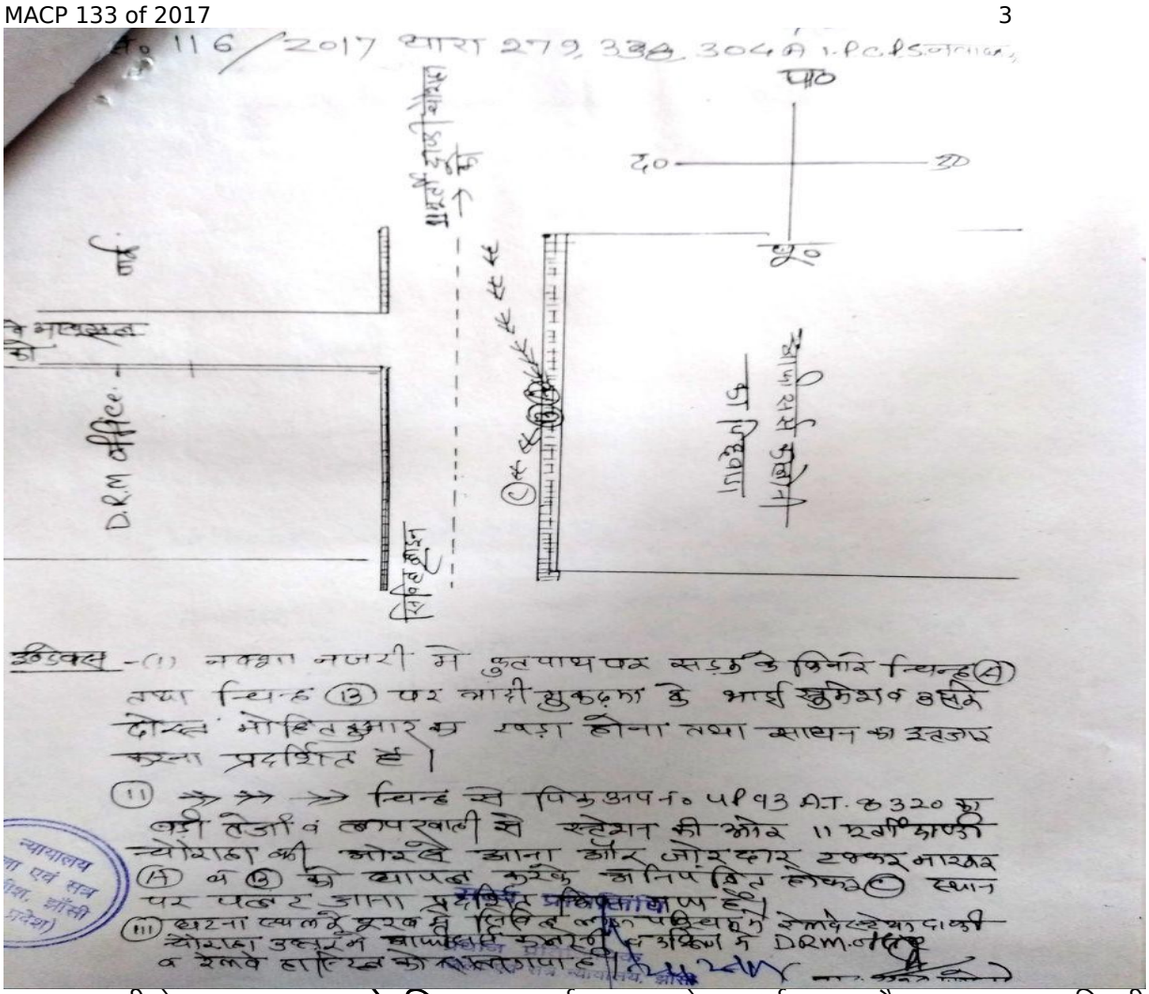

नक्शा नजरी के अनुसार **सड़क के जिस तरफ** दुर्घटना का होना दर्शाया गया है **उस तरफ** वह विपक्षी के कथानक के अनुसार सटीक तो बैठता है जिसके समर्थन मे विपक्षी गण की ओर से DW-1 कमलेश रिछारिया को परीक्षित किया गया है जिन्होने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाँक 27.01.17 समय 8:00 एवं 8:15 रात्रि के समय की घटना है। वह अपने मित्र से मिलने डी.आर.एम. ऑफिस के सामने कॉलोनी में जा रहा था। वह स्टेशन से इलाइट की ओर डी.आर.एम. ऑफिस के पास पहुँचा था कि **स्टेशन की तरफ से एक पिकअप गाड़ी अपनी साइड पर आ रहा था** कि इलाइट की ओर से मारुति कार गलत साइड में आ गई। पिकअप के चालक द्वारा मारुति को बचाने के लिए ब्रेक लगाए ही थे कि **पीछे से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाते आए तथा पीछे से पिकअप में टकरा गए थे** और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। **एकाएक ब्रेक लगने से पिकअप पलट गई** थी। उल्लेखनीय है कि चौपहिया तेज गति वाहन सामान्यतः अचानक ब्रेक लगाने के कारण पलट जाता है न कि मात्र तेज गति के कारण किंतु इस साक्षी के कथनों में भी अनेक ऐसे अंतर्विरोध हैं जिससे इस साक्षी की भी विश्वसनीयता कम हो जाती है जैसे प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह पिकअप स्वामी विपक्षी वीरेंद्र का दोस्त है और वह इसलिए साक्ष्य देने आया है कि इस क्लेम की क्षतिपूर्ति का भार ना आए। यह साक्षी मोटरसाइकिल का नंबर भी नहीं बता पाया है।

11. दैनिक जागरण झाँसी के 29 जनवरी 2017 के समाचार पत्र में यह समाचार मुद्रित हुआ है कि प्रेम नगर के पुलिया नंबर 9 मोहल्ला ठकुरयाना निवासी सुमेश पुत्र स्वर्गीय महेंद्र कुमार व मोहित पुत्र अशोक कुमार मोटरसाइकिल द्वारा घर जा रहे थे। डी.आर.एम. ऑफिस के पास लोडिंग गाड़ी ने टक्कर मार दी जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। यह समाचार भी समाचार पत्र में 1 दिन बाद छपा है जिससे इसके प्रायोजित होने की संभावना भी हो सकती है और चूँकि समाचार पत्र का संवाददाता परीक्षित नहीं हुआ है, अतः समाचार पत्र के समाचार के तथ्यों को पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

12. विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि सोमेश और मोहित द्वारा इलाइट चौराहे से आगे पैदल चलकर डी.आर.एम. ऑफिस से टैक्सी पकड़ने का क्या औचित्य बनता है ? और यदि यह मान भी लिया जाए कि सोमेश और मोहित पैदल डी.आर.एम. ऑफिस तक गए थे तो PW2 संतोष ने तो प्रति परीक्षा में दुर्घटना सड़क पर होनी बताई है न कि फुटपाथ पर तो फिर सोमेश और मोहित सड़क पर क्यों थे जबकि सड़क के किनारे फुटपाथ बना है जिसके फोटोग्राफ्स विपक्षीगण द्वारा दाखिल किए गए हैं। उनका यह भी तर्क है कि टैक्सी तो फुटपाथ पर खड़े होकर हाथ देकर ही रोकी जाती है। मेरे विचार से बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल है क्योंकि टैक्सी ईलाइट से स्टेशन के लिए एक समान किराए पर चलती है। याची के विद्वान अधिवक्ता इस बात से सहमत हैं कि इलाइट चौराहे पर टैक्सी स्टैण्ड है और इलाइट चौराहे और स्टेशन के मध्य डी.आर.एम. ऑफिस है और ऐसा भी नहीं है कि डी.आर.एम. ऑफिस से स्टेशन के लिए टैक्सी मे बैठने पर किराया कम हो जाए। इस बात का कोई स्पष्टीकरण पत्रावली पर नहीं है कि सोमेश और मोहित डी.आर.एम. ऑफिस

तक पैदल क्यों गए जबकि वहाँ टैक्सी मे जगह मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। उपहत साक्षी मोहित ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि वह टैक्सी स्टैंड से टैक्सी में बैठकर इलाइट आया था। इलाइट पर केक लेने आया था। 15-20 मिनट इलाइट पर रुका रहा। वह इलाइट से डी.आर.एम. ऑफिस तक पैदल आया। **रास्ते में उसे कोई काम नहीं था।** इलाइट से डी.आर.एम. ऑफिस तक टैक्सी में नहीं बैठा। मेरे विचार से चूँकि इलाइट से डी.आर.एम. ऑफिस पैदल आने का कोई औचित्य नहीं बनता है अतः बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के इस सुझाव मे बल है कि फुटपाथ के बजाए सड़क पर खड़े होकर टैक्सी रोकने का कोई औचित्य नही बनता है तथा इस संभावना से कतई इंकार नही किया जा सकता है कि सोमेश और अमित पैदल डी.आर.एम. ऑफिस तक नहीं आए थे बल्कि वे मोटरसाइकिल पर थे और यह घटना मोटरसाइकिल और पिकअप के मध्य डी.आर.एम. ऑफिस के सामने हुई है। मोटर साइकिल की योगदायी उपेक्षा को छिपाने व अधिक प्रतिकर प्राप्त करने के मंतव्य से संभवतः याची पक्ष द्वारा मोटर साइकिल को कथानक से हटा दिया गया है।

13. उक्त संपूर्ण साक्ष्य से कोई भी पक्ष अधिसंभव्य रूप से यह साबित करने में सफल नहीं हो सका है कि वास्तव में इस दुर्घटना में किसकी कितनी उपेक्षा थी अतः मेरे विचार से यह मामला बराबर का बनता है किंतु चूँकि मोटरसाइकिल के सापेक्ष पिकअप भारी वाहन है अतः उस से सावधानी की अपेक्षा अधिक की जाती है और चूँकि आरोपपत्र भी पिकअप चालक के विरुद्ध है अतः इस प्रकरण में मैं पिकअप चालक को 70% उपेक्षावान मानता हूँ। तदनुसार विवाद्यक संख्या- एक निर्णीत किया जाता है।

14. <u>निस्तारण विवाद्यक संख्या- दो</u>

जय प्रकाश साहू के विरुद्ध पिकअप के चालक रूप मे आरोप पत्र की सत्यापित प्रति प्रपत्र सं.- 34C2 प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जय प्रकाश साहू के चालन अनुज्ञा पत्र प्रपत्र सं.- 24C/1 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त चालक अनुज्ञा पत्र दिनाँक 21.02.2000 को निर्गत किया गया है तथा दिनाँक 20.2.2020 तक नॉन ट्रान्सपोर्ट एवं दिनाँक 08.08.2019 तक ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी है। प्रपत्र सं.- 24C/1 का खण्डन विपक्षीगण द्वारा नही किया जा सका है। दुर्घटना दिनाँक 27.01.2017 की है। अतः यह साबित है कि दुर्घटना दिनाँक व समय पर पिकअप वाहन संख्या- UP93AT 8320 के चालक जय प्रकाश साहू के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था। तदनुसार विवाद्यक संख्या- दो निर्णीत किया जाता है।

15. <u>निस्तारण विवाद्यक संख्या- तीन</u>

वाहन पिकअप की बीमा पॉलिसी प्रपत्र सं.- 24C/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बीमा पॉलिसी दिनाँक 05.10.2015 से 04.10.2016 तक वैध एवं प्रभावी है। अर्थात कथित घटना के दिनाँक 27.01.2017 को प्रश्नगत वाहन पिकअप किसी बीमा कम्पनी में विधिवत बीमित नहीं था। तदनुसार विवाद्यक संख्या-तीन निर्णीत किया जाता है।

16. <u>निस्तारण विवाद्यक संख्या- चार</u>

यह विवाद्यक प्रतिकर निर्धारण से सम्बन्धित है। विवाद्यक संख्या- एक की विवेचना से यह तथ्य साबित हो चुका हैं कि दिनाँक 27.01.2017 को डी.आर.एम. कार्यालय के समक्ष घटित दुर्धटना मे वाहन पिकअप के चालक उपेक्षा की 70 प्रतिशत एवं याची के पुत्र की 30 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा रही है।

17. विवाद्यक संख्या- दो एवं तीन की विवेचना से यह तथ्य साबित है कि कथित घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत वाहन पिकअप के चालक के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र था तथा कथित दुर्घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत वाहन किसी बीमा कम्पनी में बीमित नहीं था। अतः प्रस्तुत प्रकरण में क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या- एक वाहन स्वामी पर है।

18. अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि याची विपक्षी संख्या- एक से कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी है ?

19. याचिका में याची ने कथित घटना के समय अपने पुत्र सोमेश को टेलरिंग का काम करके प्रतिदिन ₹ 300 आय अर्जित करना बताया है परन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विधि व्यवस्था **<u>लक्ष्मी देवी एवं अन्य बनाम मोहम्मद तब्बर एवं अन्य (25.3.2008-SC)</u>: MANU/SC/7368/2008** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹ 100 प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था **<u>चन्द्रावती बनाम सुशील कुमार एवं अन्य (01.8.2018-ALLHC)</u>: MANU/UP/2954/2018** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ 200 प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत में असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितियों पर आधारित होता है। माह में औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की सम्भावना रहती है। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में याची याचिका में वर्णित अपने पुत्र की आय को नहीं कर सकी हैं ऐसी स्थिति में याची को कथित घटना के समय एक अकुशल मजदूर मानते हुये प्रतिकर निर्धारण हेतु कथित घटना के समय याची की प्रतिदिन की कल्पित आय ₹ 165 निर्धारित की जाती है।

20. याचिका में कथित घटना के समय मृतक की आयु- 20 वर्ष दर्शित की गयी है। पत्रावली पर याची की ओर से मृतक के आधार कार्ड की छाया प्रति प्रपत्र सं.- 34C2 प्रस्तुत किया गया है।

जिसके अनुसार जन्म तिथि 29.10.1996 है। इस प्रपत्र का खण्डन विपक्षीगण द्वारा नही किया जा सका है। पत्रावली पर उपलब्ध मृतक सोमेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं बेड हेड टिकट में मृतक की आयु घटना के समय लगभग 20 वर्ष ही अंकित की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रतिकर निर्धारण हेतु कथित घटना के समय मृतक सोमेश की आयु- 20 वर्ष निर्धारित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

21. विधि व्यवस्था **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (31.10.17-SC): MANU/SC/1366/2017** के अनुसार उक्त आयु वर्ग के लिए प्रतिकर निर्धारण हेतु 18 का गुणांक प्रयोज्य है तथा 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40% भविष्य की प्रत्याशा में वृद्धि, मृतक के अविवाहित होने की दशा में उसकी आय से 1/2 भाग की कटौती तथा सम्पदा की क्षति के लिए ₹ 15,000 एवं दाह संस्कार के लिए ₹ 15,000 निर्धारित किये गये हैं।

22. उक्त के अतिरिक्त याचीगण की ओर से कथित घटना में आहत होने के उपरान्त सोमेश को इलाज के लिए चिकित्सालय में दिनाँक 27.01.2017 को भर्ती कराया जाना तथा इलाज के दौरान दिनाँक 29.01.2017 को उसकी मृत्यु हो जाना कहा गया है और इस दौरान आहत/मृतक के इलाज हेतु क्रय की गयी दवाओं के बिल सूची- 47C/1 से लगभग ₹ 8264 के दाखिल किये गये हैं जिनमे से ₹ 3993 के बिल स्वीकार किए जाने योग्य हैं। शेष बिल मृतक के नामे नही हैं।

23. उपरोक्तानुसार याचीगण को प्रदान की जाने वाली प्रतिकर की राशि की गणना निम्नवत है-

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	23760
स्वयं पर खर्च (भाग में)			2	41580
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				41580
गुणक			18	748440
इलाज पर व्यय			3993	752433
संपदा की क्षति			15000	767433
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	782433
उपेक्षा का प्रतिशत			70	547703.1
कुल क्षतिपूर्ति				**547703.1**

24. इस प्रकार प्रतिकर की कुल धनराशि ₹ **5,47,703** आती है। उक्त के अतिरिक्त प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि पर विधि व्यवस्था **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ बनाम मन्नत जोहाल एवं अन्य (23.4.2019-SC): MANU/SC/0589/2019** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशों के आलोक में 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज याचिका योजित करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक याचीगण को दिलाया जाना तथा विधि व्यवस्था **जय प्रकाश बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी एवं अन्य (17.12.2009-SC): MANU/SC/1949/2009** के आलोक में क्षतिपूर्ति की धनराशि की पंचवर्षीय वार्षिकी प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

25. विवाध्यक संख्या- दो एवं तीन में यह निर्णीत किया जा चुका है कि प्रश्नगत दुर्घटना के दिनाँक व समय पर तथाकथित वाहन के चालक विपक्षी संख्या- दो के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र था तथा उक्त वाहन विपक्षी किसी बीमा कम्पनी के यहाँ विधिवत रूप से बीमित नहीं था। अतः प्रतिकर की समस्त धनराशि की अदायगी का उत्तरदायित्व विपक्षी संख्या-एक प्रश्नगत वाहन के पंजीकृत स्वामी पर है। तदनुसार विवाध्यक संख्या- चार निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याची की याचिका विपक्षीगण के विरुद्व संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से ₹ **5,47,703** (पाँच लाख सैंतालीस हजार सात सौ तीन) प्रतिकर की धनराशि एवं उस पर 7.5% वार्षिक दस से साधारण ब्याज, याचिका योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक के लिए अनुज्ञप्त की जाती है। विपक्षी संख्या- एक को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से 60 दिन के अन्दर प्रतिकर की समस्त धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या-3671000101192489 (IFSC: PUNB0367100) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे। धनराशि के इलेक्ट्रानिक हस्तानांतरण के समय याचिका संख्या का संदर्भ अवश्य दिया जाएगा तथा ट्रांजैक्सन नम्बर की सूचना up-pomact.jh@up.gov.in पर दी जाएगी।

दिनांकः 28.12.2012

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्वघोषित किया गया।

दिनांकः 28.12.2012

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी